शाला प्रबंधन समिति में सदस्यों का अनुपात

अभिभावक/स्थानीय निकाय/विद्यालय

इसमें त्रुटि न हो

शाला प्रबंधन समिति (SMC) में सदस्य संख्या का अनुपात क्या होगा?

1. शाला प्रबंधन समिति अधिकतम 18 सदस्यीय होगी।
2. समिति में न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य शाला में नामांकित बच्चों के पालक या अभिभावक होंगे।
3. दो सदस्य स्थानीय निकाय से होंगे।
4. स्थानीय निकाय से जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड के पंच या पार्षद पदेन सदस्य होंगे।

5. जबकि माननीय सरपंच या अध्यक्ष द्वारा एक महिला पंच या पार्षद का नाम मनोनीत किया जाएगा।

6. विद्यालय प्रमुख समिति का पदेन सचिव होंगे।

7. विद्यालय की वरिष्ट शिक्षिका समिति की सदस्य होगी। यदि विद्यालय में शिक्षिका नहीं है तो यह पद रिक्त रहेगा।

8. समिति के 18 सदस्यों में से 14 सदस्य पालक या अभिभावक होंगे।

9. समिति में वंचित एवं कमजोर वर्ग के सदस्य नियमानुसार शामिल होंगे।

10. समिति में नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार 50% सदस्य महिलाएँ होंगी।

11. समिति में यदि बच्चों के अभिभावकों (माता पिता) में से महिला को चुन लिया जाएगा तो पुरुष को नहीं चुना जाएगा। यदि पुरुष को चुन लिया गया है तो महिला नहीं चुनी जाएगी।

12. सदस्य संख्या इस प्रकार होगी...

(i) नामांकित बच्चों के अभिभावक – 14

(ii) स्थानीय निकाय के सदस्य – 02

(iii) विद्यालय प्रमुख (पदेन सचिव) – 01

(iv) विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका – 01

कुल – 18